न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu225RTA116 Bhabhutaram etc Vs Narsingh n ors

1. भभूताराम पुत्र जोधाराम जाट
2. जोराराम पुत्र भभूताराम जाट
3. रामूराम पुत्र भभूताराम जाट
4. करनाराम पुत्र भभूताराम जाट
5. मानाराम पुत्र भभूताराम जाट
6. दुर्गाराम पुत्र भभूताराम जाट
7. छगनाराम पुत्र भभूताराम जाट
8. किशनाराम पुत्र भभूताराम जाट
9. सुमतादेवी पत्नी रामूराम जाट
10. डूंगरराम पुत्र जोधाराम जाट

निवासीगण ग्राम रिनिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर (राज.)

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. नरसिंग पुत्र गोमदराम जाट
2. मोहनीदेवी पत्नी नृसिंहराम जाट

ग्राम रिनिया, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर (राज.)

3. तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 30 अप्रेल 2018 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 331/2016 नरसिंग ब अन्य बनाम भभूताराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बुद्धाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लाधुराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 30 अक्तू., 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 331/2016 में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रेल 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 20 जुलाई 2017 को पेश की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने ग्राम रिनिया तहसील तिंवरी स्थित स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 95/1 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा तथा खसरा संख्या 95/2 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा तक **आवागमन हेतु** पडौस की कृषि भूमि खसरा संख्या 97/1 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 97/2 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 95/3 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा के खातेदार अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट की खातेदारी के भूमि में से कदीमी रास्ता चलते हुए प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक पहुंचना बताया और प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाये अनुसार खसरा संख्या 97/1, खसरा संख्या 97/2 व खसरा संख्या 95/3 में से बिन्दु ए से बी या ई से एफ तक और बिन्दु सी से डी तक दो गट्टा चौडा रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2016 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 18 नवम्बर 2017 को वकालतनामा पेश हुआ, तब तहसीलदार तिंवरी से मौका फर्द तलब की गयी जो दिनांक 01 मार्च 2018 को प्राप्त हुई, दिनांक 08 नवम्बर 2017 को अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट का जबाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ। इसके बाद प्रकरण वास्ते बहस लम्बित चलता रहा और दिनांक 30 मई 2018 को प्रकरण लोक अदालत कैम्प कोर्ट माण्डियाईखुर्द में निर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि मौका फर्द के खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पेश की गयी थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निर्धारित विधिक प्रकिया के खिलाफ है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा संख्या 97/1 में नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी कदीमी रास्ता चालु बताया जबकि मौका फर्द में कोई रास्ता चालू होना नहीं बताया गया। यही नहीं, फर्द मौका में बिन्दु ए-1 से बी भाग को प्रस्तावित रास्ता बताया, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस नजरअंदाज कर दिया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट-पक्ष ने दृढतापूर्वक यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 26 मार्च 2018 से दिनांक 09 अप्रेल 2018 वास्ते बहस मुकर्रर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गयी थी, लेकिन पत्रावली में दिनांक 09 अप्रेल 2018 की कोई आदेशिका उपलब्ध ही नहीं है, सीधे ही दिनांक 30 अप्रेल 2018 को कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र माडियाईखुर्द में रेस्पो. नरसिंग की उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि दिनांक 30 अप्रेल 2018 को अटल सेवा केन्द्र माडियाईखुर्द में किसी तरह के कैम्प का आयोजन नहीं किया गया था। राज्य सरकार के भी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 01 मई 2018 से 30 जून 2018 के मध्य आयोजित किये जाने का आदेश था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश 30 अप्रेल 2018 को उक्त अभियान के तहत पारित किया जाना मामले में एक प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट-पक्ष का कथन है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट माडियाईखुर्द में रखे जाने बाबत कोई सूचना दिये बिना, अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में पारित किया गया, अतः समुचित समय में अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 28 जून 2018 को रेस्पो. द्वारा मौके पर धमकी देकर अपनी पसंद का रास्ता चुन लिया जाना और अपीलाधीन आदेश बाबत बताया गया, अपीलाधीन आदेश की नकल आदि लेकर और आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील अन्दर मियाद पेश की दी है, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मतः और न्यायोचित पारित किया गया है, मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। फर्द मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के लिए पक्षकारान की खातेदारी की आराजियात और प्रस्तावित रास्ते की वस्तुस्थिति का सिंहावलोकन कर न्याय के मूल बिन्दु तक पहुँचने के लिए तलब की जाती है, फर्द मौका में वर्णित अनुसार ही निर्णय पारित करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 मई 2018 को पारित किया गया है, न कि 30 अप्रेल 2018 को। अपीलाण्ट्स मिथ्या वर्णन कर अदालत हाजा से अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

प्रत्युत्तर में अधिवक्ता-अपीलाण्ट-पक्ष ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने की 30/4/18" में माह को काटछांट कर ओवरराइटिंग से 30/5/18 किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण-रेस्पो. के प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त जो फर्द-मौका अधीनस्थ न्यायालय में तलब किये जाने पर पेश हुई, उसमें वर्णित मौके की स्थिति और प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता में शत-प्रतिशत समानता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि दिनांक 26 मार्च 2018 की आदेशिका के अनुसार आईन्दा तारीख-पेशी वास्ते बहस दिनांक 09 अप्रेल 2018 मुकर्रर की गयी थी, मगर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में 09 अप्रेल 2018 की कोई आदेशिका ही नहीं है, सीधे ही दिनांक 30/4/18 जिसमें माह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के अंक 4 पर ओवरराइटिंग से 5 लिखा जाकर 30/5/18 किया जाना प्रत्यक्ष प्रकट होता है, लिखी जाकर पत्रावली लोक अदालत/केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र माण्डियाई खुर्द में पेश होना व प्रार्थी नरसिंहराम उपस्थित होना वर्णित किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोई में रखे जाने तथा प्रकरण तारीख-पेशी 09 अप्रेल 2018 की बजाय 30 अप्रेल 2018 अथवा 30 मई 2018 को पेशी पर अदालत में रखे जाने की सूचना उभय पक्षकारान को दिये जाने बाबत पत्रावली से कतई सिद्ध नहीं होता है।

इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत जबाब-प्रार्थनापत्र को नजरअंदाज करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व लोक अदालत में बिना कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के रखा जाकर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश से प्रदत्त रास्ता अपीलाण्ट के खेत को दो भागों में विभक्त करता है जिसे उसकी एक तरफ की जोत बहुत ही छोटी रह जाती है जिसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस दृष्टि से भी आलौच्य आदेश सही नहीं ठहरता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/4/2018 (या 30/5/2018) अपास्त किया जाता है । मामले में वर्णित मौका फर्द दिनांक 27 फरवरी 2017 में दर्शायें रास्ते को बिन्दु B से A^1 तक खेत की सीमा के सहारे-सहारे दिया जाना ज्यादा उपयुक्त एवं युक्तियुक्त है। बिन्दु बी से ए (प्रदत्त रास्ता) और बिन्दु B से A^1 के रास्ते के रकबे मे मामूली वृद्धि है परन्तु वह ज्यादा श्रेयस्कर होने से देने लायक है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः प्रकरण में मोका फर्द दिनांक 27 फरवरी 2017 के संलग्न नक्शा **"परिशिष्ट अ"** के अनुसार बिन्दु B से A^1 तक रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। इसके कारण रकबे में मात्र 2 बिस्वा 4 बिस्वांसी की वृद्धि होती है, जिसका वर्तमान प्रचलति डी.एल.सी. दर से नियमानुसार प्रतिकर अपीलाण्ट्स को देय होगा। प्रतिकर अदा कर देने के पश्चात तहसीलदार तिंवरी परिशिष्ट अ (जो इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा) में दर्शाए अनुसार बिन्दु A^1 से B C D E तक के रास्ता का अमल दरामद राज्य सरकार के पक्ष में कर दे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा

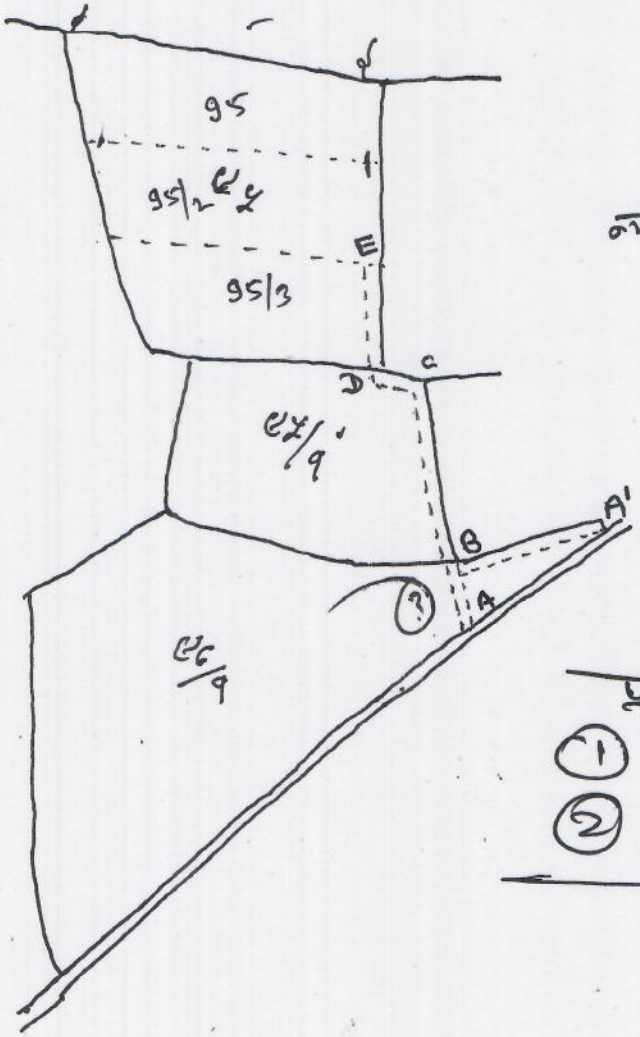

"परिशिष्ट अ"

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

अपील सं. 116/2018 U/S 225 RTAct

मनूनारायण चौधरी V/s नरसिंगचौधरी

निर्णय दिनांक 30/10/19

30/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तावित रास्ता
(1) ABCDE
(2) A'BCDE

खसरा नम्बर 95 एवं 97/1 की भट्ठा नक्शा में तरमीम नहीं है। वक्त मौका निरीक्षण दोनों पक्षकार मौजूद/हाजिर थे। फर्द उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाई गई तथा हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त की। एवं प्रार्थीगणों द्वारा फर्द पर हस्ताक्षर करने से मना किया।

नरसिंगराम

23/02/17
ILR (तिंवरी)

27.2.17
JDR Tiwari
तहसीलदार (भू. अ.)
तिंवरी जिला जोधपुर

पटवारी